Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **करौली में पुलिस थाना कोतवाली, हिण्डौनसिटी का कानिस्टेबल 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *15 सितम्बर, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर करौली इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये रामराज बैरवा कानिस्टेबल, पुलिस थाना कोतवाली, हिण्डौनसिटी, जिला करौली को परिवादी से 10 **हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक (अतिरिक्त चार्ज) श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि ए.सी.बी. की करौली इकाई को एसीबी टोल–फ्री नंबर 1064 के माध्यम से परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध सट्टे का मुकदमा नहीं बनाने की एवज में रामराज बैरवा कानिस्टेबल, पुलिस थाना कोतवाली, हिण्डौनसिटी, जिला करौली द्वारा 30 **हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, भरतपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के निर्देशन में एसीबी की करौली इकाई के **पुलिस निरीक्षक श्री जगदीश भारद्वाज** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम ट्रेप कार्यवाही करते हुये रामराज बैरवा पुत्र स्व. श्री गंगासहाय निवासी भीमपुरा, पुलिस थाना टोड़ाभीम, जिला गंगापुरसिटी हाल कानिस्टेबल, पुलिस थाना कोतवाली, हिण्डौनसिटी, जिला करौली को परिवादी से 10 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी कानिस्टेबल द्वारा शिकायत से पूर्व ही परिवादी को हवालात से छोड़ने की एवज में **10 हजार रूपये** की रिश्वत राशि वसूल कर ली थी।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक, श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।